



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

क्रमांक:-एफ-7(14) रालसा/संस्था/पी.एल.ए./सदस्य नियुक्ति/2025/8686

दिनांक: 21.08.2025

विज्ञप्ति

स्थायी लोक अदालत में सदस्यों या अन्य व्यक्ति के नामांकन/नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) की धारा 22 बी के तहत जन उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत निम्नांकित सेवाएं:-

1. वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं;
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति;
4. लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली;
5. अस्पताल या डिस्पेन्सरी में सेवा;
6. बीमा सेवा;
7. बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
8. आवासीय सेवाएं;
9. लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सेवा;
10. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं या
11. आवास और भू सम्पदा सेवाएं;

उपरोक्त जनोपयोगी सेवा (Public Utility Services) संबंधित प्रकरण जो एक करोड़ रुपये तक की मालियत के हो ऐसे प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) संस्थापित की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय पर धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में करौली में 02 प्रद, श्रीगंगानगर में 02 प्रद, झुंजरपुर में 01 प्रद, बालोतरा में 01 प्रद, झालावाड में 01 प्रद तथा जैसलमेर में 02 प्रद वर्तमान में रिक्त हैं एवं वर्ष 2025 (माह सितम्बर) में चित्तौड़गढ़ में 01 प्रद, जोधपुर महानगर में 01 प्रद रिक्त होने वाला है। इस प्रकार कुल रिक्त 11 पदों पर सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member/Other Person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

1. जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हो-
 01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि, एवं
 02. लोक उपयोगिता सेवाएं (Public Utility Services) में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या
 03. सेवानिवृत्त अधिकारी जो जन उपयोगी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जन उपयोगी सेवाओं के कार्य का अनुभव हो, या
 04. विधि का ज्ञान अथवा विधि की शिक्षा परन्तु जन उपयोगी सेवा का अनुभव हो,
2. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक की नहीं हो,
3. उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवाएं सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारंभिक नियुक्ति के 01 वर्ष को सम्मिलित करते हुए प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति को प्रतिवर्ष, वार्षिक मुल्यांकन के आधार पर 05 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकेगा।

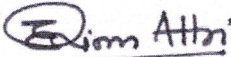
AAO

21.8.25

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जैसलमेर



4. स्थाई लोक अदालत के सदस्य को मानदेय व अन्य सुविधाएं Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 (यथा संशोधित) के अनुरूप देय होंगी।
5. उक्त चयन की प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के पश्चात् स्क्रीनिंग या साक्षात्कार अथवा दोनों द्वारा पूर्ण की जावेगी। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का टी. ए./डी.ए. देय नहीं होगा। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन होगा।
6. आवेदक को स्वयं यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसका किसी भी जन उपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं है।
7. पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय में डाक या व्यक्तिशः द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे।
9. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
10. उक्त सदस्य या अन्य व्यक्ति (Members/other person) किसी प्रकार का नियोजन नहीं है और नियोजन का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है, बल्कि स्वसेवा है, जिस कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय है।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 12/9/25 है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात् (सायं 05.00 बजे के पश्चात्) प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. एक आवेदन पत्र के जरिये केवल एक ही स्थान के सदस्य/अन्य व्यक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है। **Last date is 12 Sep 2025 uptill 5:00 P.M.**

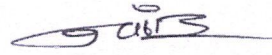

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:-एफ-7(14)/रालसा/संस्था-पी.एल.ए. सदस्य नियुक्ति/2025/8687-8702 दिनांक: 21.08.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इंचार्ज महोदय, मीडिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
8. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला कलेक्टर एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
9. निदेशक/विशेष सचिव/उप सचिव-प्रथम/उप सचिव-द्वितीय, रालसा, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव, रालसा, जयपुर।
13. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय, रालसा, जयपुर।
14. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
15. संबंधित पत्रावली।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

नोटिस बोर्ड पर चस्पा

की जावे/S.O.—upload on official website

21.8.25

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं संशन न्यायाधीश)
जयपुर (राज.)

1910-1911

1911-1912

1912-1913

1913-1914



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member/other person) के रिक्त पदों पर सदस्यों/अन्य व्यक्तियों (Members/other person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु।

जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है.....

(केवल एक जिला ही अंकित किया जावे)

1. आवेदक का नाम

हिन्दी में

अंग्रेजी में

2. आवेदक के पिता/पति का नाम

3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)

4. शैक्षणिक योग्यता

5. गृह जिला

6. स्थायी निवास का पता

(टेलीफोन नम्बर).....

7. वर्तमान पता

(टेलीफोन नम्बर).....

8. मोबाईल नम्बर

9. ई-मेल एड्रेस

10. कार्यालय का पता

11. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

पासपोर्ट साइज
का नवीनतम
स्व-हस्ताक्षरित
फोटो चिपकाये

12. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख
13. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)
14. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्ति आवेदक के लिए)
15. सेवानिवृत्ति की दिनांक
(सेवानिवृत्ति आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
16. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी के लिए)
17. लोक उपयोगी सेवा से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण—

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

18. वकालत का अनुभव— (जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित कम से कम 05 निर्णय की प्रति संलग्न करें)
19. अन्य कार्य/व्यवसाय का अनुभव.....

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

20. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण.....
21. वर्तमान वार्षिक आय.....
(अंतिम आय विवरणिका संलग्न करें)
22. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं? हाँ/नहीं
23. यदि आवेदक के विरुद्ध सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जांच या प्रारम्भिक जांच की गई हो या प्रस्तावित/लम्बित हो या दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण दें।
(सेवारत/सेवानिवृत्ति के लिए)
24. यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पुत्र/पत्नी घोषणा

करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरा जन उपयोगी सेवा में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य हित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नोट : आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति आदेश की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जावे।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

क्रमांक:-एफ-7(29)/रालसा/संस्था-पी.एल.ए. अध्यक्ष नियुक्ति/2025/8406 दिनांक:20.08.2025

स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 22बी के अंतर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत मुख्यालय हनुमानगढ, कोटा, मेडता सिटी, श्री गंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रिक्त 06 पद एवं वर्ष 2025 (माह नवम्बर) में स्थाई लोक अदालत बीकानेर के रिक्त होने वाले 01 पद अर्थात् कुल 07 पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों से ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. पूर्णकालिक अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की पात्रता व योग्यता-

(क) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अथवा

(ख) जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत अधिकारी, जो दिनांक 31.12.2023 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुये हैं एवं दिनांक 31.01.2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

2. सेवा के निबंधन एवं शर्तें-

(क) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रावधानों के अनुसार 05 वर्ष तक की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक की जायेगी। नियुक्ति प्रारम्भ में केवल 01 वर्ष के लिए की जा सकती है। कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बाद अधिकतम 05 वर्षों तक (प्रारम्भिक कार्यकाल सहित) बढ़ाया जा सकता है।

1. अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये गये न्यायिक अधिकारी को उनकी अंतिम आहरित वेतन माईनस पेशन के अनुरूप फीस प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
2. अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को सभी सुविधाएं व भत्ते जो समय-समय पर प्रचलित सरकारी नियमों, परिपत्रों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं में निर्धारित किये जाएंगे।

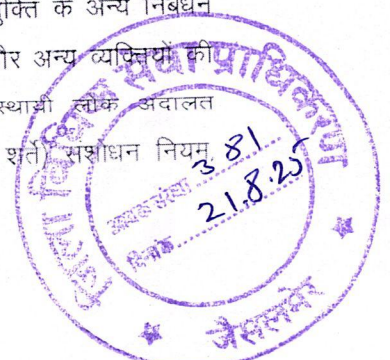
(ख) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष को मानदेय व अन्य सुविधाएं स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 (यथा संशोधित) के अनुरूप देय होंगी।

AAO

21/8/25

राजस्थान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

Edim Attari



(ग) नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी को एक वचन-बंध (Undertaking) देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा, जिससे उसके अध्यक्ष के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(घ) अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर, उस तारीख से जिससे वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे सम्बद्ध नहीं रहेगा।

(ङ) अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 63 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(च) स्थायी लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में किसी भी न्यायिक अधिकारी को उनके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा तथा पदस्थापन स्थल/मुख्यालय के लिए 03 विकल्प दिये जा सकते हैं।

3. चयन की रीति/प्रक्रिया-

(क) स्थायी लोक अदालत के उक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर चयन योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।

नोट- आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों में से छंटनी (Short Listing) की जा सकेगी व तदनुसार शेष पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

(ख) चयन एवं चयन की रीति, प्रक्रिया व मापदंड निर्धारित करने का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेकाधीन होगा।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।

4. आवेदन करने की प्रक्रिया व समय सीमा-

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति आवेदन पत्र हेतु सूचना प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। संपूर्ण राजस्थान के जिलाधीश कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ख) पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र, विज्ञप्ति के संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा।

(ग) सेवारत न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रेषित करना होगा। सीधे इस कार्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र को विचार में नहीं लिया जाएगा। अतः इच्छुक न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन पत्र, अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए यथोचित समय पर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

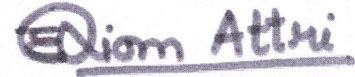
(घ) आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेजात की स्व:प्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित करनी होगी।

(ड) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 10.09.2025 समय सांय 5 बजे तक है।
अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को
विचार में नहीं लिया जाएगा।

(च) E-mail अथवा फ़ैक्स आदि से प्रेषित किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया
जाएगा।

5. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम राज्य प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
6. आवेदको को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विधिक सेवा प्राधिकरण
अधिनियम, 1987 व स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य
निबंधन और शर्तें) नियम, 2003, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की
नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष
और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020, स्थायी
लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन
नियम, 2025 (यथा संशोधित) का अध्ययन कर लें।
7. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती
है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

आज्ञा से,

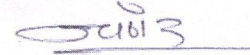
 Diom Attari

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज ईचार्ज महोदय, मीडिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
8. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला कलेक्टर एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
9. निदेशक/विशेष सचिव/उप सचिव-प्रथम/उप सचिव-द्वितीय, रालसा, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव/ उप सचिव, रालसा, जयपुर।
13. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय, रालसा, जयपुर।
14. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
15. संबंधित पत्रावली।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

नोटिस बोर्ड पर
चस्पा की जावे /

50-upload on official website

21.8.25

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जयपुर (राज.)



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

:: आवेदन पत्र ::

(राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7(29)/रालसा/संस्था/पीएलए अध्यक्ष नियुक्ति/2025/8405 दिनांक 20.08.2025 के क्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के अंतर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन)

1. आवेदक का नाम

हिन्दी में

अंग्रेजी में

2. आवेदक के पिता/पति का नाम

3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)

4. गृह जिला (सेवा अभिलेखानुसार).....

5. स्थायी निवास का पता

6. वर्तमान पत्राचार का पता

7. मोबाईल नम्बर

8. ई-मेल

9. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, एल.एल.बी एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

10. न्यायिक सेवा में प्रवेश की दिनांक व पदनाम

11. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)

12. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्ति आवेदक के लिए)

13. सेवानिवृत्ति की दिनांक

(सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)

14. वेतन श्रृंखला एवं मूल वेतन (वर्तमान या अंतिम आहरित)

पासपोर्ट साइज
का नवीनतम
रंग-हस्ताक्षरित
फोटो चिपकाये

15. विगत 07 वर्षों का/सेवानिवृत्ति से अंतिम 07 वर्ष का न्यायिक सेवा का कार्य अनुभव विवरण :-

क्र.सं.	न्यायालय व धारित पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)	सम्पादित कार्य की प्रकृति
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

16. विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण -
-

17. वकालत का अनुभव -

न्यायिक सेवा में प्रवेश से पूर्व वर्ष

सेवानिवृत्ति के पश्चात् वर्ष

18. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण

(सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)

19. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं ? हाँ/नहीं
20. क्या आवेदक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न हुई है? हाँ/नहीं
21. क्या आवेदक (सेवारत/सेवानिवृत्त) के विरुद्ध वर्तमान में कोई प्रारंभिक या विभागीय जांच लंबित है अथवा क्या पूर्व में विभागीय जांच में दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण।

22. यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है ? यदि हां तो उसका विवरण।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पुत्र/पत्नी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नोट : आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश व अन्य वांछित दस्तावेज की स्वः सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।